राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी अरविन्द पूर्व से अनुपस्थित।

प्रकरण आज आरोपी अरविन्द की अनुपस्थिति पर विचार हेतु नियत है।

आरोपी अरविन्द की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट अदम् तामील फरारी पंचनामा सहित इस टीप के साथ दिनांक : 19/01/2017 को वापस प्राप्त हुये थे कि ''उसके निवास का कोई निश्चित स्थान नहीं है और दिये गये पता पर वह नहीं मिला''।

इस वावत् वारंट निष्पादनकर्ता एवं फरारी पंचनामा लेखबद्ध करने वाले थाना मौ के सहायक उप निरीक्षक भईयालाल सनोरिया की फरारी साक्ष्य अंकित की गई।

गिरफ्तारी वारंट पर अंकित टीप, फरारी पंचनामा के तथ्यों एवं भईयालाल सनौरिया की फरारी साक्ष्य के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि यह विश्वास करने का कारण है कि उपरोक्त आरोपी अरविन्द फरार हो गया है या अपने को छिपा रहे है, जिससे ऐसे गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सके। सहायक उपनिरीक्षक भईयालाल सनोरिया द्वारा उसके फरारी साक्ष्य में यह दर्शित किया गया है कि "उक्त आरोपी के निकट भविष्य में मिलने की संभावना नहीं है।

उपरोक्त विश्लेषण से यह प्रकट होता है कि आरोपी अरिवन्द अपनी उपस्थिति छुपाने के लिए फरार हो गया है और उनके निकट भविष्य में मिलने की कोई संभावना नहीं है। ऐसी दशा में प्रकरण में आरोपी अरिवन्द की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए स्थाई वारंट जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः आरोपी अरविन्द की उपस्थिति के स्थाई वारंट जारी किया जाये।

प्रकरण आरोपी अरविन्द के उपस्थित होने तक अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

प्रकरण का परिणाम संबधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

अभिलेख पर लाल स्याही से यह टीप अंकित कि जाये कि प्रकरण में आरोपी अरविन्द फरार है, इसलिए अभिलेख सुरक्षित रखा जाये।